<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>26.12.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने "फेयरप्ले" के केस में चल रही जांच के हिस्से के रूप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 22.11.2024 को **4.62 करोड़ रुपये (लगभग)** की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो क्रिकेट/आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में डीमैट खाता होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड निवेश और एक लक्जरी वाहन (ऑडी क्यू 8) के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने मेसर्स वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोडल साइबर पुलिस, मुंबई में मेसर्स फेयरप्ले स्पोर्ट एलएलसी और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की विभिन्न धाराओं के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की हानि (अपराध की आय) के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि कृष लक्ष्मीचंद शाह (फेयरप्ले के पीछे प्रमुख व्यक्ति) ने फेयरप्ले के संचालन के लिए विभिन्न कंपनियां पंजीकृत कराई हैं जैसे कि कुराकाओ में मेसर्स प्ले वेंचर्स एन.वी और मेसर्स डच एंटिलीज़ मैनेजमेंट एन.वी, दुबई में मेसर्स फेयर प्ले स्पोर्ट एलएलसी और मेसर्स फेयरप्ले मैनेजमेंट डीएमसीसी और माल्टा में मेसर्स प्ले वेंचर्स होल्डिंग लिमिटेड। ईडी की जांच में पता चला कि फेयरप्ले को मुख्य रूप से कृष एल शाह द्वारा दुबई से उनके सहयोगियों जैसे चिराग शाह और चिंतन शाह की मदद से संचालित किया जा रहा है, जो फेयरप्ले के तकनीकी और सॉफ्टवेयर विकास पहलुओं की देखभाल करते हैं। जांच में पता चला कि कृष एल शाह और उनके सहयोगियों ने अपराध की आय से या तो अपने नाम पर या अपने रिश्तेदारों/परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियां अर्जित की हैं।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 12.06.2024, 27.08.2024, 27.09.2024 और 25.10.2024 को तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न चल संपत्तियों के साथ-साथ विभिन्न अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को जब्त/फ्रीज किया गया था और ईडी ने इस मामले में 22.11.2024 को एक अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया था। इस मामले में अब तक कुल कुर्की और जब्ती **335.78 करोड़ रुपये (लगभग)** है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।